,vj bafM;k ,vj Vakal iksVZ lfoZlsl fyfeVsM

fo"k; & lwph

i"B la-

1.	निदेशक–मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	6
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	7
5.	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	12
6.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण	13
7.	नकदी प्रवाह विवरण	14
8.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	15

fun'kd&eMy ¼31-12-2013 dks½

श्री रोहित नन्दन — v/;{k
श्रीमती एम. सत्यवती
श्री जी. अशोक कुमार
श्री एस. वेंकट

e|[; i|pkyu vf/kdkjh

कैप्टन ए.के. शर्मा

d|iuh lfpo

श्रीमती पूनम भारवानी

y|[kkijh{kd

मैसर्स पी. एम. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, मुंबई

c|d l|

एचडीएफसी बैंक लि.

i|th—r dk;ky;

एयरलाइन्स हाउस
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड
नई दिल्ली—110 001

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है ।

वित्तीय निष्पादन

(रुपए लाख में)

विवरण	2012-13	2011–12
कुल राजस्व	7500.95	6090.63
कुल व्यय	7398.14	6058.45
विशिष्ट तथा असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	102.80	32.17
विशिष्ट मदें	-	(22.04)
पूर्वावधि कर समायोजन	(4.80)	–
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	97.99	10.13
असाधारण मदें	-	–
कर पूर्व लाभ/(हानि)	97.99	10.13
घटाएं : कर के लिए प्रावधान	47.35	36.14
निवल लाभ/(हानि)	50.64	(26.01)

अन्य वित्तीय जानकारी

शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 100,00,00,000/– है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5,00,000/– (प्रत्येक रु. 10/– के 50,000 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन :

समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य है ।

प्रचालन

मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक–मंडल ने 7 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) का प्रचालन आरंभ करने का अनुमोदन दिया है। प्रचालन के लिए केबिनेट नोट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था और केबिनेट ने 06 सितम्बर, 2012 को एआईएटीएसएल के प्रचालन के लिए अनुमोदन दिया है। केबिनेट के निर्णय के अनुसार यह प्रस्तावित किया गया है कि एअर इंडिया लिमिटेड की परिसंपत्तियों तथा जनशक्ति को एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड में अंतरित किया जाएगा। कंपनी को ग्राऊंड हैंडलिंग गतिविधियां संपन्न करने वाले एक अलग लाभ केन्द्र के रूप में माना जाएगा।

तदनुसार कंपनी में जनशक्ति के अंतरण के साथ 01 फरवरी, 2013 से प्रचालन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और एअर इंडिया तथा एआईएटीएसएल के बीच 19 अप्रैल, 2013 को समझौता–ज्ञापन निष्पादित किया गया है। इसी क्रम में, विभिन्न विनियामक तथा सांविधिक अनुमोदनों/अनुपालनों को प्राप्त/पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

31 tqykb] 2013 rd ,vj bfM;k ,vj VkalikV lfol l fyfeVM dh xfrfof/k;k

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर, 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

सहायक नियंत्रक	83
जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव–टेक्निकल	74
सीनियर कस्टमर एजेंट	07
कस्टमर एजेंट	893
जूनियर कस्टमर एजेंट	75
सीनियर रैम्प सर्विस एजेंट	92
रैम्प सर्विस एजेंट	279
यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर	15
सिक्युरिटी एजेंट	1044
सीनियर सिक्युरिटी एजेंट	268
हैंडीमैन	251
हैंडीमैन–II	16
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाहित किया गया)	46
d|y	3143

सभी स्टेशनों पर सभी उड़ानों की सुरक्षा हैंडलिंग केवल एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के स्टाफ द्वारा की जाती है, क्योंकि यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को आऊटसोर्स करने की अनुमति नहीं है ।

नीचे उल्लिखित स्टेशनों के लिए निम्नलिखित नियोजन प्रक्रिया जारी है :

	कोलकाता	चेन्नई	मुंबई
वरि. रैम्प सर्विस एजेंट	–	–	32
कस्टमर एजेंट	50	145	93
रैम्प सर्विस एजेंट एवं रैम्प सर्विस एजेंट (एलजी)	–	65	52
d|y	50	210	177

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लिया गया और उन्हें आऊटसोर्स किया गया :

dkf"kDdkM e: आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 सितम्बर, 2013 से बैगेज तथा कार्गो हैंडलिंग सेवाएं एवं केबिन क्लीनिंग एवं ड्रेसिंग कार्य आऊटसोर्स किए गए और ब्राईट शाईन सर्विसेस द्वारा किए जा रहे हैं ।

dkf"kDdkM e: आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 अगस्त, 2012 से विस्सकन एविएशन (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा समग्र ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

pUub e: आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 जनवरी, 2013 से डेकोर एविएशन द्वारा एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं ग्राहक एअरलाइन के लिए ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

pUub e: आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 मार्च, 2013 से ब्राईट शाईन सर्विसेस द्वारा केबिन क्लीनिंग, ड्रेसिंग तथा विविध सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

pUub e: आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 दिसम्बर, 2012 से एरो ग्लोब फैसिलिटी मैनेजमेंट द्वारा ट्रैक्टर तथा कोच प्रचालन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

pUubl e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 जनवरी, 2013 से विस्सकन एविएशन (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा कार्गो माल–गोदाम स्थित ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

fo'kk[kkiVVue e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 12 अगस्त, 2013 से विशाखा एंटरप्राइज़ेस द्वारा यात्री हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, बैगेज हैंडलिंग तथा ट्रैक्टर प्रचालन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

enjl e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 07 दिसम्बर, 2012 से बालिका सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा समग्र ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

dkfPp e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 01 सितम्बर, 2013 से ईम्मानुएल एविएशन एंड कार्गो सर्विसेस (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नेदुमबस्सेरी एअरपोर्ट, कोच्चि में विमान केबिन क्लीनिंग तथा ड्रेसिंग कार्य किए जा रहे हैं ।

vgenkckn e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 25 अप्रैल, 2013 से नेहा इंटरनैशनल द्वारा सरदार वल्लभभाई एअरपोर्ट पर समग्र ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

eqcbl e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 11 अप्रैल, 2013 से लाईववेल एविएशन द्वारा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट, मुंबई में आगमन बैगेज हैंडलिंग कार्य किए जा रहे हैं ।

eqcbl e॰ आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 11 मई, 2013 से बजरंग एअरलाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा मुंबई एअरपोर्ट पर ग्राहक एअरलाइनों को व्हीलचेयर सेवाओं के लिए हैंडीमेन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

fun'kd&eMy

31 मार्च, 2013 को बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
श्री के. एम. उन्नी एसबीयू प्रमुख–एमआरओ (एअरफ्रेम)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	
डॉ. प्रभात कुमार संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	

एअर चीफ मार्शल फली एच. मेजर (सेवानिवृत्त), तारीख 17 जनवरी, 2013 से कंपनी के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहे ।

श्री के. एम. उन्नी, तारीख 30 नवम्बर, 2013 से कंपनी के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहे। साथ ही, श्री मच्छेन्द्रनाथन तारीख 19 नवम्बर, 2013 से कंपनी के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहे।

श्री एस. वेंकट, निदेशक (वित्त) को तारीख 27 दिसम्बर, 2013 से कंपनी के बोर्ड पर एअर इंडिया के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कैप्टन ए.के. शर्मा को 26 नवम्बर, 2013 से कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

एअर चीफ मार्शल फली एच. मेजर (सेवानिवृत्त), श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन तथा श्री के. एम. उन्नी द्वारा कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में दी गई अमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है ।

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुई ।

fun'kdk dk mŸkjnkf;Ro dFku

कंपनी का निदेशक–मंडल पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं है;
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च, 2013 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं;
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; तथा
4. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स नटवरलाल वेपारी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

y[kkijh{kk lfefr

चूंकि, कंपनी की प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए से कम है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति का होना ज़रूरी नहीं है ।

Åtk lj{k.k] çk|kfxdh dk viukuk

निर्दिष्ट मामलों पर कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी केवल ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों का उत्तरदायित्व संभाल रही थी ।

depkfj;k dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अधीन चूंकि ऐसे कोई भी कर्मचारी नहीं थे, जो वर्ष भर नियोजित रहे और जिन्हें रु. 5 लाख प्रति माह या रु. 60 लाख प्रति वर्ष पारिश्रमिक मिला हो, इसलिए इस संबंध में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है ।

fu;=d ,o egky[kkijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

vkHkkj

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है ।

ckM d fy, ,o mudh vkj l

हस्ता. / –
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 जनवरी 2014

,vj bfM;k ,vj VkalikV lfol l fyfeVM d 31 ekp] 2013 dk lekIr o"k d y[kk ij diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619 ¼4½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k ,vj VkalikV lfol l fyfeVM के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 23 जनवरी, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k ,vj VkalikV lfol l fyfeVM के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
ijek lu
ç/kku fun'kd&okf.kT;d y[kkijh{kk ,o
पदेन lnL;, y[kkijh{kk cksM–II] eqcbZ

स्थान : मुंबई
तारीख : 07 मार्च 2014

,vj bf.M;k ,vj VªkalikssVZ lfoZlsl fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy, ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

हमने ,vj bf.M;k ,vj VªkalikssVZ lfoZlsl fyfeVsM के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 ekpZ 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी शामिल है।

foÙkh; fooj.kksa ds fy, izca/ku dh ftEesnkjh %

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

ys[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh %

इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है । हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोखिम निर्धारणों को तैयार करने में लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में विचार करता है, ताकि उस परिस्थिति में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में व्यक्त राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

jk; %

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण, यहां उल्लिखित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सभी आवश्यक सूचनाएं देते हैं तथा निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर दी गई टिप्पणियों के अधीन है :

(1) नोट सं. 17.9 : कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है ।

(2) नोट सं. 17.10 : स्थापना सहायक प्रभार ।

(क) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2013 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का ।

vU; fof/kd ,o fofu;ked vi{kkvk ij fjikV %

1. अधिनियम की धारा 227 की धारा (4क) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित, हम आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण, अनुलग्नक के रूप में दे रहे हैं ।

2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हुई हैं, जैसाकि मुंबई स्थित कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय में रखी गई बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, जिनमें कंपनी के विभिन्न स्टेशनों से और एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) सहित आऊटसोर्स एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरणियां समाहित हैं, उनके परीक्षण के आधार पर ये हमारी लेखापरीक्षा के लिए विश्वसनीय हैं;

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण, लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

   (घ) हमारी राय में, तुलन–पत्र, लाभ और हानि के विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

   (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित यह एक सरकारी कंपनी है । इसे विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी, दिनांक 22 मार्च, 2001 के सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 द्वारा अधिनियम की धारा 274 की उप–धारा (1) के खंड (छ) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है;

   (च) चूंकि, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 441 ए के अंतर्गत देय उपकर को अभी अधिसूचित किया जाना है, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3)(छ) की रिपोर्टिंग की अपेक्षा लागू नहीं होती;

   (छ) 31 मार्च, 2013 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन तथा निदेशक–मंडल द्वारा अपने रिकॉर्ड में नोट किए गए कागज़ात के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के अनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2013 को अयोग्य नहीं पाया गया है ।

ih- ,e- vxoky ,.M ,lkfl,Vl
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

y[kkijh{kdk dh fjikV dk vuyXud

¼ßvU; fof/kd ,o fofu;ked vi{kkvk ij fjikVÞ d 'kh"kd d vrxr ijk 1 e lnfHkr½

i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरणों और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है ।

(ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है और ऐसी जांच के दौरान प्रबंधन द्वारा कोई तथ्यपरक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं ।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों का कोई भाग नहीं बेचा है ।

ii) कंपनी ऐसी सेवाएं देती हैं, जिसकी इन्वेंटरी रखना अपेक्षित नहीं है, अतः आदेश का खंड 4(ii) लागू नहीं होता है।

iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है । आदेश (iii) के खंड (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं होते हैं ।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या पार्टियों से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित कोई ऋण नहीं लिया है, सिवाय होल्डिंग कंपनी मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाते के, जहां 'ऑन एकाउंट' आधार पर नियमित रूप से निधि प्राप्त होती रही और उसे एअर इंडिया के नाम से बनाए गए बीजकों के मूल्य के लिए कंपनी द्वारा समायोजित किया जा रहा है. वर्ष के अंत में एअर इंडिया का डेबिट बैलेंस रु. 1,91,01,493/– (पिछले वर्ष का डेबिट बैलेंस रु. 6,61,12,197/–) है। अतः आदेश (iii) के खंड (च) और (छ) लागू नहीं होते हैं।

iv) *हमारी राय में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कंपनी के आकार के अनुरूप बनाने के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*

v) (क) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का ऐसा कोई विवरण नहीं है, जिन्हें उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज़ करना ज़रूरी हो, क्योंकि तारीख 31.01.1978 की अधिसूचना जीएसआर 233 के अनुसार सरकारी कंपनियों को इसके लिए छूट दी गई है । अतः आदेश (v) का खंड ख लागू नहीं होता है ।

vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 58क और 58कक के प्रावधानों या किन्हीं अन्य संबद्ध प्रावधानों या इस बारे में कंपनी विधि बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी कोर्ट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन या तो शून्य है या लागू नहीं होता है ।

vii) *वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी और न ही कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के मौजूद न रहने से, हम इसकी प्रभावकारिता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।*

viii) हमें यह सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत कंपनी द्वारा की जा रही व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लागत रिकॉर्डों को अनुरक्षित करने के लिए विहित नहीं किया है। अतः आदेश का खंड (viii) लागू नहीं होता है ।

ix) (क) कंपनी, जहां कहीं लागू हो, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियां समुचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है। 31 मार्च, 2013 को देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए *0;olk; dj #- 2]61]488@& ¼fiNy o"k #- 1]13]652@&½*

vkj lsok dj 'kqYd ¼fiNys o"kZ #- 18]43]111@&½ dks NksM+dj अन्य राशियां बकाया नहीं थीं । इसी क्रम में हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर की राशि को केन्द्र सरकार ने अब तक निर्धारित नहीं किया है, अतः इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) जहां कहीं लागू हो, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर की कोई भी राशियां देय नहीं हैं, जो विवाद के कारण समुचित प्राधिकारियों के पास जमा न की गई हों ।

x) रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की संचित हानि इसके निवल–मूल्य से पचास प्रतिशत अधिक है और उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में या उससे ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है ।

xi) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों या डिबेंचरधारकों से कोई राशि नहीं ली है । अतः देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए ज़मानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिए हैं । अतः पर्याप्त दस्तावेज़ों और रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

xiii) कंपनी कोई चिट फंड/निधि/म्युचुअल लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है । अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवहार या सौदा नहीं करती । अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xv) कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है । अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xvi) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष या इससे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है तथा वर्ष के पहले दिन कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है । अतः जिस उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लिए गए हैं, उस उद्देश्य के लिए सावधि ऋण का उपयोग करने के बारे में इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xvii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमानी (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है । अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xviii) कंपनी ने प्रथमदृष्ट्या दीर्घावधि निवेशों के लिए अल्पावधि आधार पर कोई निधि प्रयुक्त नहीं की है ।

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं । अतः इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है ।

xxi) वर्ष के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला न तो सूचित किया गया है अथवा न ही रिपोर्ट किया गया है ।

ih- ,e- vxzoky ,.M ,lksfl,V~l
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxzoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

forh; o"kZ 2012&13 ds fy, lkafof/kd ys[kkijh{kd dh fjiksVZ vkSj mlij çcU/ku ds mÙkj %

fuEufyf[kr uksV dh vksj /;ku vkdf"kZr djk;k tkrk gS A

iSjk la-	ys[kkijh{kd dh jk;	çcU/ku dh fVIif.k;ka
17.9	कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है। वित्तीय विवरण सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए जाते हैं ।	यद्यपि कंपनी ने 01 फरवरी, 2013 से प्रचालन शुरू किए हैं, लेकिन मूल कंपनी से राजस्व पूंजी लगाना, ग्राऊंड हैंडलिंग उपस्करों को स्थानांतरित करना तथा कारोबार का स्थानांतरण अभी किया जाना बाकी है। ऐसा होने पर स्थिति में सुधार आएगा।
17.10	कंपनी ने होल्डिंग/ग्रुप कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ संव्यवहार किया है। अन्य व्ययों के शीर्ष के अधीन लाभ और हानि विवरण में स्थापना सहायता प्रभार डेबिट रु. 2,09,39,189/– (पिछले वर्ष रु. 2,15,92,034/–) शामिल है, जो कंपनी में एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण है तथा उस सीमा तक वर्ष में हुए लाभ में कमी हुई है ।	एआईएटीएसएल के कार्यों को करने वाले एअर इंडिया कर्मचारियों से संबद्ध लागतों को स्थापना लागत माना गया है तथा तदनुसार कंपनी की बहियों में दिखाया गया है ।

31 ekp] 2013 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	ukV	31 ekp] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
bfDoVh vkSj nkf;Ro,a %			
'ks;j/kkjdksa dh fuf/k;ka %			
शेयर पूंजी	2	**500,000**	500,000
आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**(24,546,913)**	(29,611,110)
		(24,046,913)	(29,111,110)
xSj&orZeku nkf;Ro,a %			
दीर्घावधि उधार		**-**	-
दीर्घावधि प्रावधान	4	**12,245,402**	9,001,635
		12,245,402	9,001,635
orZeku nkf;Ro,a %			
अल्पावधि उधार		**-**	-
व्यापार देयताएं	5	**55,320,252**	65,847,924
अन्य वर्तमान देयताएं	6	**63,693,138**	90,182,364
अल्पावधि प्रावधान	7	**4,500,000**	190,000
		123,513,390	156,220,288
dqy		**111,711,879**	136,110,813
ifjlaifÙk;ka %			
xSj&orZeku ifjlaifÙk;ka			
अचल परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	8	**1**	1
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		**67**	235,651
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	9	**76,055,249**	59,901,562
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	10	**-**	668,150
		76,055,317	60,805,364
orZeku ifjlaifÙk;ka			
व्यापार से प्राप्य	11	**23,389,580**	70,075,126
नकदी और बैंक शेष	12	**11,546,816**	3,600,772
अल्पावधि ऋण और अग्रिम		**-**	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	**720,166**	1,629,551
		35,656,562	75,305,449
dqy		**111,711,879**	136,110,813
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	**2 ls 17**		

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ih- ,e- vxzoky ,.M ,lksfl,V~l
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxzoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
,l- oSadV
निदेशक

हस्ता./–
lathp nqvk
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
iwue Hkkjokuh
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 जनवरी 2014

31 ekp] 2013 dk lekIr o"k dk ykHk vkj gkfu fooj.k

¼jkf'k #i, e½

	fooj.k	ukV	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
	jktLo %			
I	प्रचालनों से आय			
	हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व		**747,910,876**	603,602,050
II	अन्य आय	**14**	**2,184,687**	5,460,927
d	dy jktLo ¼I + II½		**750,095,563**	609,062,977
III	व्यय :			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**15**	**562,056,727**	428,932,225
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**-**	-
	अन्य व्यय	**16**	**177,758,218**	176,913,337
[k	dy 0;;		**739,814,945**	605,845,562
IV	fof'k"V vkj vlk/kkj.k enk ,o dj iol ykHk@¼gkfu½	**(d - [k)**	**10,280,618**	3,217,415
V	विशिष्ट मदें/पूर्वावधि समायोजन			
	पूर्वावधि समायोजन/मदें (निवल)		**-**	(2,204,026)
	पूर्वावधि कर समायोजन (निवल)		**(480,837)**	-
VI	vlk/kkj.k enk vkj dj iol ykHk@¼gkfu½	**(IV - V)**	**9,799,781**	1,013,389
VII	असाधारण मदें		**-**	-
VIII	dj iol ykHk@¼gkfu½	**(VI - VII)**	**9,799,781**	1,013,389
IX	कर व्यय :			
	वर्तमान कर		**4,500,000**	190,000
	आस्थगित कर		**235,584**	3,424,193
X	tkjh iapkyu ls vof/k dk ykHk@¼gkfu½	**(VIII - IX)**	**5,064,197**	(2,600,804)
	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :			
	मूल और तनूकृत		**101.28**	(52.02)
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	**2 ls 17**		

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ih- ,e- vxoky ,.M ,lkfl,Vl
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
,l- odV
निदेशक

हस्ता./–
ltho nvk
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
iue Hkkjokuh
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 जनवरी 2014

31 ekp] 2013 dk lekIr o"k dk udnh iokg fooj.k

¼jkf'k #i, e½

fooj.k		31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
d- ipkyu xfrfof/k;k l udnh iokg			
djk/kku iol fuoy ykHk@¼gkfu½ ½		**9,799,781**	1,013,389
(घटाएं)/जोड़ें : ग़ैर नकदी मदों के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास		**-**	-
पूर्वावधि कर समायोजन		**-**	-
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		**668,150**	668,150
dk;l'khy ith ifjorluk l iol ipkyu ¼gkfu½@ykHk		**10,467,931**	1,681,539
(घटाएं)/जोड़ें : कर का प्रावधान		**(4,500,000)**	(190,000)
पूर्वावधि कर समायोजन		**-**	-
dj d i'pkr fuoy ¼gkfu½@ykHk	(क)	**5,967,931**	1,491,539
विविध देनदारों में कमी/(वृद्धि)		**46,685,546**	(26,971,904)
ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)		**(15,244,302)**	(11,884,136)
वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		**(29,463,131)**	40,071,444
dk;l'kky ith e ifjorlu	(ख)	**1,978,113**	1,215,404
ipkyu l fuoy udnh ¼cfgokg½@virokg	¼d½	**7,946,044**	2,706,943
[k- fuo'k lcU/kh xfrfof/k;k l udnh iokg	¼[k½	**-**	-
x- foÙkiks"k.k xfrfof/k;k l udnh iokg	¼x½	**-**	-
udnh vkj udnh lekudk e fuoy of)@¼deh½	¼d+[k+x½	**7,946,044**	2,706,943
नकदी और नकदी समानकों का प्रारंभिक शेष		**3,600,772**	893,829
जोड़ें : नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि		**7,946,044**	2,706,943
udnh vkj udnh lekudk dk vfre 'k"k		**11,546,816**	3,600,772

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ih- ,e- vxoky ,.M ,lkfl,Vl
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
,l- odV
निदेशक

हस्ता./–
lith nvk
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
iue Hkkjokuh
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 जनवरी 2014

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ ds foÙkh; fooj.k dk Hkkx fufeZr djus okyh fVIif.k;k

ukV 1% egRoiw.kZ ys[kkdj.k uhfr;k

1-1 ys[kk r;kj djus dk vk/kkj %

इन वित्तीय विवरणों को उपचय के आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतो के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 यथा संशोधित की धारा 211 (3ग) के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य संबद्ध प्रावधानों के सभी वास्तविक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए तैयार किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित अन्य कसौटियों के आधार पर प्रचालनों की प्रकृति और परिसंपत्तियों की प्राप्ति व उनकी नकदी तथा नकदी समानकों में वसूली और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच विद्यमान या गैर–विद्यमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के विद्यमान तथा गैर–विद्यमान प्रयोजन के लिए 12 माह का प्रचालन चक्र बनाया है।

1-2 vpy ifjlaifÙk;k vkSj ewY;gkl %

d- ewrZ ifjlaifÙk;k %

मूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत, निवल संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में दर्शाया गया है। लागत में अर्जन तथा स्थापना से संबंधित सभी प्रासंगिक व्यय शामिल हैं।

[k- veqrZ ifjlaifÙk;k %

अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत, निवल संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में दर्शाया गया है । लागत में अर्जन तथा स्थापना से संबंधित सभी प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। परिशोधन अवधि तथा पद्धति की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है। यदि परिसंपत्तियों के प्रत्याशित उपयोगी काल में पूर्व अनुमानों से अंतर हो, तो तदनुसार परिशोधन अवधि में परिवर्तन किया जाता है।

मूल्यह्रास की व्यवस्था ह्रासित मूल्य पद्धति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर और विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है।

अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन पर मूल्यह्रास को अर्जन के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाता है तथा निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।

रु. 5,000/– अथवा उससे कम लागत की परिसंपत्तियों के प्रत्येक मामले में परिवर्धन की तारीख को ध्यान में रखे बगैर, परिवर्धन के वर्ष में प्रतिधारी रु. 1/– को अवशिष्ट मूल्य के रूप में, क्रय के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है ।

1-3 jktLo ekU;rk %

संबंधित करार के निबंधनों के अनुसार जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसे राजस्व माना जाता है ।

1-4 deZpkjh fgr ykHk %

भविष्य निधि तथा फैमिली पेंशन निधि को उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है तथा लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान तुलन–पत्र की तारीख से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

1-5 orZeku vkSj vkLFkfxr dj %

वर्ष के लिए करयोग्य आय के बारे में निर्धारित वर्तमान कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। लेखाकरण मानक (एएस–22) के अनुसार आस्थगित कर देयता/परिसंपत्तियों का परिकलन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा

आस्थगित कर देयता का परिकलन लागू कर दरों तथा कर कानून के अनुसार किया जाता है, जिसे तुलन–पत्र की तारीख से अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है ।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को केवल तभी तथा उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है जब तक कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करने का ठोस प्रमाण उपलब्ध है । ऐसी परिसंपत्ति की प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

1-6 iÍk %

i. जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से सभी जोखिमों और पट्टे पर ली गई मदों के अनुसार स्वामित्व के हितलाभों को अपने पास रखता है, तो ऐसे पट्टे को, यदि कोई हो, प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । प्रचालन पट्टा भुगतानों को पूरी पट्टा अवधि में स्ट्रेट–लाइन आधार पर, जब तक कि वहां पर कोई क्रमबद्ध आधार न हो, जो पट्टे के टाइम पैटर्न के अधिक समरूप हो, लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में माना जाता है ।

ii. प्रचालन पट्टे के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियां, यदि कोई हों, को अचल परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे से प्राप्त आय को पूरी पट्टा अवधि में स्ट्रेट–लाइन आधार पर, जब तक कि वहां पर कोई क्रमबद्ध आधार न हो, जो पट्टे के टाइम पैटर्न के अधिक समरूप हो, लाभ और हानि लेखे में मान्यता दी जाती है ।

1-7 ifjlifŸk;ks dh {kfr %

परिसंपत्ति को क्षति के रूप में तब माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक होती है। क्षति के कारण हुई हानि को, उस वर्ष में, जिसमें परिसंपत्ति की क्षति की पहचान की गई, लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य अनुमानित राशि में कोई परिवर्तन हो, तो पूर्व लेखाकरण अवधि में मान्यता प्राप्त क्षति की हानि को पलट दिया जाता है।

1-8 iokof/k en ,o vlk/kkj.k en %

आय एवं व्यय की पूर्वावधि तथा असाधारण मदों को पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है तथा वर्तमान अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

1-9 çkjfHkd@fofo/k 0;; %

प्रारंभिक व्ययों का दस वर्षों की अवधि में स्ट्रेट–लाइन आधार पर परिशोधन किया जाता है ।

1-10 çklfxd n;rk, %

प्रासंगिक देयताएं उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं तथा उन्हें लेखों पर टिप्पणियों के रूप में दर्शाया जाता है ।

1-11 çfr 'k;j vtu ¼bih,l½ %

कर पश्चात और अधिमानी लाभांश को घटाकर, यदि कोई हो, संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना की जाती है, जो संबंधित अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को दी गई हो । संबंधित अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, बोनस शेयर्स/शेयर स्प्लिट जैसी घटनाओं में समायोजित की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत अर्जन की गणना करने के प्रयोजन के लिए कर पश्चात् संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और अधिमानी लाभांश को घटाकर, यदि कोई हो, का तरीका अपनाया जाता है, जो इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान की जाती है और सभी तनूकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए संबंधित अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से समायोजित किया जाता है।

ukV Þ2ß % 'ks;j iwath

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
izkf/kÑr 'ks;j iwath		
प्रत्येक रु. 10/— के 9,00,00,000 (9,00,00,000) इक्विटी शेयर	**900,000,000**	900,000,000
प्रत्येक रु. 100/— के 10,00,000 (10,00,000) निष्क्रेय अधिमानी शेयर	**100,000,000**	100,000,000
dqy	**1,000,000,000**	1,000,000,000
fuxZfer] vfHknÙk vkSj iznÙk iwath		
प्रत्येक रु.10/— के 50,000 (50,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (संपूर्ण शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी एअर इंडिया तथा उसके नामितियों द्वारा धारित है)	**500,000**	500,000
dqy	**500,000**	500,000

d- bfDoVh 'ks;jksa dh la[;k rFkk jkf'k dk lek/kku %

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च, 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k	शेयरों की संख्या	राशि
bfDoVh 'ks;lZ %				
वर्ष के आरंभ में बकाया	**50,000**	**500,000**	50,000	500,000
वर्ष के दौरान निर्गमित	**-**	**-**	-	-
वर्ष के दौरान पुनः खरीदे गए	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**50,000**	**500,000**	50,000	500,000

[k- bfDoVh 'ks;jksa ls lac) fuca/ku@vf/kdkj %

bfDoVh 'ks;j % कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 5 लाख है तथा इक्विटी शेयरों के एक वर्ग का सममूल्य रु. 10/— प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरहोल्डर धारित प्रति शेयर एक मत के लिए पात्र है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, लाभांश यदि कोई देय है, तो निदेशक—मंडल द्वारा प्रस्तावित होगा, जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक उनकी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानी राशि के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

x- dEiuh ds 5% ls vf/kd bfDoVh 'ks;j /kkfjr 'ks;j/kkjdksa dk fooj.k %

'ks;j/kkjdksa ds uke	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च, 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	/kkfjrk %	शेयरों की संख्या	धारिता %
एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी और उसके नामिती	**50,000**	**100**	50,000	100

ukV Þ3ß % vkjf{kr fuf/k;ka vkSj vf/k'ks"k

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
ykHk vkSj gkfu fooj.k esa vf/k'ks"k@?kkVk %		
प्रारंभिक शेष	**(29,611,110)**	(27,010,306)
वर्तमान वर्ष के लिए निवल लाभ/(निवल हानि)	**5,064,197**	(2,600,804)
अंतिम शेष dqy	**(24,546,913)**	(29,611,110)

ukV Þ4ß % nh?kkZof/k izko/kku

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
deZpkjh fgrykHk ds fy, izko/kku %		
उपदान	**10,491,199**	7,893,697
छुट्टी नकदीकरण	**1,754,203**	1,107,938
dqy	**12,245,402**	9,001,635

ukV Þ5ß % 0;kikj ns;rk,a

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
विविध लेनदार *	**55,320,252**	65,847,924
(नोट : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप–धारा (1ख) के आशय में उसी प्रबंधन के अंतर्गत एआईसीएल कंपनी/संबंधितों को भुगतान किए जाने वाले लेनदारों के रु.7,49,329/– (पिछले वर्ष रु.7,49,329/–) शामिल हैं ।		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
* शेष संपुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन है ।		
dqy	**55,320,252**	65,847,924

ukV Þ6ß % vU; orZeku ns;rk,a

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
vU; ns; %		
अन्य लेनदार *	**501,084**	476,060
देय वेतन	**45,256,695**	70,046,927
देय कर्मचारी हितलाभ	**3,132,327**	2,843,614
बयाना राशि/प्रतिभूति जमा	**3,180,000**	2,080,000
निष्पादन (गारंटी) के प्रति ठेकेदार से अग्रिम	**5,955,638**	4,123,216
भविष्य निधि सहित सांविधिक देयताएं और स्रोत पर काटा गया कर	**5,667,394**	10,612,547
* शेष संपुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन है।		
dqy	**63,693,138**	90,182,364

ukV Þ7ß % vYikof/k iko/kku

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
कर प्रावधान	**4,500,000**	190,000
dqy	**4,500,000**	190,000

ukV Þ8ß % vpy ifjlaifÙk;ka

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	ldy Cykd ¼ykxr ij½				lafpr eY;gkl				fuoy Cykd	
	01.04.2012 को शेष	परिवर्धन	निपटान	31-03-2013 dks 'ks"k	01.04.2012 को शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निपटान पर	31-03-2013 dks 'ks"k	31-03-2013 dks 'ks"k	31.03.2012* को शेष
ewrZ ifjlaifÙk;ka कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	135,323	-	-	**135,323**	135,322	-	-	**135,322**	**1**	1
dqy	135,323	**-**	**-**	**135,323**	135,322	**-**	**-**	**135,322**	**1**	1
पिछले वर्ष	135,323	-	-	**135,323**	135,322	-	-	**135,322**	**1**	-

*31 मार्च, 2012 को परिसंपत्तियों का ब्लॉक समाप्त होता है, परंतु वास्तविक रूप से अस्तित्व में है, अतः डबल्यूडीवी को रु. 1/– पर दर्शाया गया है।

ukV Þ9ß % nh?kkZof/k _.k ,oa vfxze

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
(अरक्षित, शोध्य माने गए)		
प्रतिभूति जमा	**324,000**	324,000
अग्रिम आय कर (निवल)	**75,652,039**	59,498,352
फ्रिंज बेनिफिट कर/देय धन–वापसी (निवल)	**79,210**	79,210
dqy	**76,055,249**	59,901,562

ukV Þ10ß % vU; xSj&orZeku ifjlaifÙk;ka

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
अपरिशोधित व्यय :		
प्रारंभिक व्यय	**-**	668,150
dqy	**-**	668,150

ukV Þ11ß % O;kikj l; ikI;

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
(अरक्षित, शोध्य माने गए) :		
नियत देय तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया	-	-
अन्य :		
एअर इंडिया : होल्डिंग कंपनी से (निवल)	1,91,01,493	66,112,197
एअर इंडिया सैट्स बैंगलुरू – सहयोगी फर्म से/संयुक्त उद्यम कंपनी से	4,288,087	3,962,929
नोट : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप–धारा (1ख) के आशय के अंतर्गत उक्त ऋण उसी प्रबंधन के अधीन कंपनियों/फर्मों से प्राप्य हैं ।		
dqy	23,389,580	70,075,126

ukV Þ12ß % udnh vkSj cSad 'ks"k

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
udnh vkSj udnh lekud %		
हाथ में नकदी	2,861	1,579
बैंक शेष :		
चालू खाते में	11,543,955	3,599,193
dqy	11,546,816	3,600,772

ukV Þ13ß % vU; orZeku ifjlEifÙk;ka

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
कर्मचारियों को अग्रिम	6,289	959,263
कर्मचारियों से व्यावसायिक कर की वसूली	2,138	2,138
अपरिशोधित व्यय :		
प्रारंभिक व्यय	668,150	668,150
सेवा कर निर्विष्ट जमा	43,589	-
dqy	720,166	1,629,551

ukV Þ14ß % vU; vk;

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
नौकरी के लिए भरती संबंधी आवेदन शुल्क	712,925	3,943,855
नोटिस अवधि वेतन	1,471,762	1,238,300
प्रतिलिखित/बट्टे खाते में डाला गया विविध शेष (निवल)	-	-
आयकर धन–वापसी पर ब्याज	-	278,772
dqy	2,184,687	5,460,927

ukV Þ15ß % deZpkjh fgr ykHk O;;

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
वेतन	**535,546,033**	408,376,494
बोनस	**1,267,926**	1,057,136
भविष्य–निधि एवं ईडीएलआई प्रभार	**21,083,205**	15,856,777
उपदान	**2,597,502**	2,209,127
छुट्टी नकदीकरण	**1,168,681**	1,024,270
कर्मचारी कल्याण	**393,380**	408,421
dqy	**562,056,727**	428,932,225

ukV Þ16ß % vU; O;;

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
हैंडलिंग और प्रचालन व्यय	**147,208,447**	145,726,085
स्थापना सहायक प्रभार	**20,939,189**	21,592,034
भरती व्यय	**4,562,836**	5,309,248
जल प्रभार	**216,083**	158,896
बिजली प्रभार	**1,163,969**	1,184,145
संचार व्यय	**68,400**	21,260
सवारी	**323,730**	191,866
दरें एवं कर	**627,842**	213,493
यात्रा व्यय	**563,103**	330,010
डाक और कुरियर	**67,120**	30,961
मुद्रण और लेखन–सामग्री	**20,261**	27,786
कार्यालय रखरखाव	**964,156**	461,437
बैंक प्रभार	**4,633**	1,723
व्यावसायिक शुल्क	**85,196**	724,120
विविध व्यय	**15,103**	62,842
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय	**668,150**	668,150
सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :		
– लेखापरीक्षा शुल्क (पिछले वर्ष का शुल्क रु. 50,000/– शामिल)	**225,000**	150,000
– जेब खर्च	**10,000**	10,000
कर लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :		
– कर लेखापरीक्षा शुल्क	**25,000**	49,281
dqy	**177,758,218**	176,913,337

ukV Þ17ß % foÙkh; fooj.kksa ij fVIif.k;ka

17-1 31 मार्च, 2013 को प्रासंगिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य) ।

17-2 कंपनी, वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी अर्थात् एअर इंडिया तथा सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् एअर इंडिया–सैट्स बैंगलुरू के लिए यात्री हैंडलिंग, रैम्प हैंडलिंग, सुरक्षा हैंडलिंग तथा कार्गो हैंडलिंग सहित एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है ।

17-3 deZpkjh fgrykHk ¼,,l&15½

कर्मचारियों को उपलब्ध हितलाभों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है :

i. ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk %

d½ Hkfo"; fuf/k ,oa Qfeyh isa'ku fuf/k

भविष्य निधि तथा फैमिली पेंशन निधि पर किए गए व्यय को कर्मचारी लागत की अनुसूची 10 में शामिल किया गया है ।

ii. ifjHkkf"kr fgrykHk ;kstuk,a

क) उपदान

ख) छुट्टी का नकदीकरण

उपर्युक्त परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में बीमांकन मूल्यांकन, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके बीमांकक से प्राप्त किया गया था ।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2013 को देयता :

¼jkf'k #i, esa½

	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
उपदान	1]04]91]199*	78,93,697
छुट्टी का नकदीकरण	17]54]203	11,07,938

*कंपनी ने पिछले वर्ष 5% प्रति वर्ष दर की तुलना में वर्ष 2012–13 के लिए भावी/वेतन वृद्धि/वेतन संवृद्धि दर 5.50% मानी है.

iii. d½ minku %

रु. 25,97,502/–(पिछले वर्ष रु. 22,09,127/–) का प्रारंभिक तथा अंतिम अंतर लाभ और हानि के नामे है।

[k½ NqÍh dk udnhdj.k %

¼jkf'k #i, esa½

01.04.2012 को प्रारंभिक शेष	11,07,938/–
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रदत्त	5,22,416/–
देय शेष	5,85,522/–
31.03.2013 को मूल्यांकन के अनुसार शेष	17,54,203/–
लाभ और हानि का विवरण (कर्मचारी हितलाभ व्यय)	11,68,681/–

17-4 lsxesaV vuqlkj lwpuk ¼,,l&17½ %

कंपनी एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है, अतः उसके पास रिपोर्ट करने योग्य केवल एक सैगमेंट है। अतः किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की गतिविधियां भारत में हैं।

17-5 lac) ikVÊ lO;ogkj ¼,,l&18½ %

d- lac) ikfVZ;k¡ %&

i. होल्डिंग कंपनी : मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड

ii. अन्य संबद्ध पार्टियां :

क) सहयोगी फर्म (संयुक्त उद्यम कंपनी) : मैसर्स एअर इंडिया सैट्स – बैंगलुरू

ख) ग्रुप कंपनी : मैसर्स एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
मैसर्स भारतीय होटल निगम लिमिटेड

iii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : श्री रोहित नन्दन, अध्यक्ष

iv. वर्ष के अंत में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके संबंधियों के पास कोई भी लेन–देन बाकी नहीं है।

[k- lac) ikVÊ lO;ogkj %&

कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और यह केन्द्र सरकार की कंपनी है । एएस 18 के पैरा 9 के उद्देश्य के लिए कंपनी को संबद्ध पार्टी संबंध तथा संव्यवहार के बारे में उसके वित्तीय विवरण में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है ।

x- eq[; ic/kdh; dkfeZd vkj lac/kh

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ है ।

ii. निदेशक मंडल के किन्हीं भी संबंधियों को पारिश्रमिक तथा परिलब्धियां नहीं दी गई हैं ।

iii. वर्ष के अंत में, कंपनी के निदेशकों अथवा अधिकारियों या उनके संबंधियों के साथ कोई भी ऋण अथवा क्रेडिट संव्यवहार बकाया नहीं थे, जिन्हें प्रकट करना अपेक्षित है ।

?k- o"kZ ds nkSjku lO;ogkj

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	,vj bafM;k fyfeVsM ¼gksfYMax daiuh½
i. हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व	69,93,31,652
ii. हैंडलिंग तथा प्रचालनात्मक व्यय	51,24,86,823
iii. स्थापना सहायक प्रभार	2,09,39,189
iv. 31 मार्च, 2013 को प्राप्य (निवल)	1,91,01,493

17-6 çfr 'ks;j vtZu %

Ø-la-	fooj.k	2012&13	2011–12
i.	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (रु.)	50]64]197	(26,00,804)
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या	50]000	50,000
iii.	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	10	10
iv.	प्रति शेयर अर्जन मूल तथा तनूकृत (रु.) प्रति शेयर (हानि)	101-28	(52.02)

17-7 vkLFkfxr dj ns;rk %

प्रारंभिक आस्थगित कर परिसंपत्तियां (तुलन–पत्र)	रु. 2,35,651/–
अंतिम आस्थगित कर परिसंपत्तियां (तुलन–पत्र)	रु. 67/–
लाभ और हानि खाते के नामे	रु. 2,35,584/–

17-8 बोर्ड की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य सामान्य व्यवसाय के दौरान और सभी ज्ञात वर्तमान देयताओं/व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के पश्चात् उल्लिखित मूल्य के आसपास है और जो वसूली योग्य है, अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर पर्याप्त है ।

17-9 कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक रहा है। वित्तीय विवरण सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए जाते हैं ।

¼jkf'k #i, e½

	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
शेयर पूंजी	5]00]000	5,00,000
आरक्षित निधियां और अधिशेष (नामे)	¼2]45]46]913½	(2,96,11,110)
	¼2]40]46]913½	(2,91,11,110)
जोड़ें : प्रारंभिक व्यय (नामे)	¼6]68]150½	(13,36,300)
udkjkRed fuoy eY;	¼2]47]15]063½	(3,04,47,410)

17-10 कंपनी ने होल्डिंग/ग्रुप कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ संव्यवहार किया है । अन्य व्ययों के शीर्ष के अधीन लाभ और हानि विवरण में स्थापना सहायता प्रभार डेबिट रु. 2,09,39,189/– (पिछले वर्ष रु. 2,15,92,034/–) शामिल है, जो कंपनी में एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण है तथा उस सीमा तक वर्ष में हुए लाभ में कमी हुई है ।

17-11 ऐसे कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2013 को 45 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया राशि देय हो । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित उपर्युक्त सूचना ऐसी पार्टियों को देना निर्धारित किया गया है, जिनकी पहचान कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है ।

17-12 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कोई अर्जन या व्यय नहीं किया गया था ।

17-13 जहां कहीं लागू हो, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और भाग III के अनुसरण में जानकारी का अनुपालन किया जाता है। अन्य मामलों में सूचना या तो शून्य है या लागू नहीं है ।

17-14 जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है । पैसे को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ih- ,e- vxoky ,.M ,lkfl,Vl
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई–फर्म पंजीकरण सं.: 100147डबल्यू)

हस्ता./–
ih- ,e- vxoky
भागीदार
सदस्यता सं. 013899

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 जनवरी 2014

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
,l- odV
निदेशक

हस्ता./–
lthọ nvk
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
iue Hkkjokuh
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 जनवरी 2014